

श्रीमान-जी
एवं हमारे वाड पत्र
के आगे कोई कार्यवाही
नहीं चाहते हैं। No. 1 press


सुरज कंबल

Ashu Jain

Kusum Jain

1/1
4

22-1-21 कलकत्ता हे फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र 022

R 3 बमबहार प्रक्रिया पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता
कादीने कथन किये कि कादी का दिनांक 5-9-2020
को देहान्त हो गया है तथा कादी के कारिसान को
रेकार्ड पर लिखा जान न्यायोचित है। प्रतिवादी गण
के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर नो ओब्जेक्शन कर
प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के कथन किये ऐसी स्थिति
में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया
है। कादी के कारिसान को रेकार्ड पर लिखे जाने के
आदेश पारित किये जाते हैं। कादी के कारिसान सुरज कंबल
पति प्रणामल व आशा, कुसुम पुत्रिया प्रणामल स्वयं
उपस्थित होकर ऑडिओ पर अंकित किया कि हम
वाड पत्र पर आगे कोई कार्यवाही नहीं चलाना चाहते हैं।
प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जावे। उनकी पहचान
उनेके अधिवक्ता ने की है। कादी गण वाड पत्र पर
कार्यवाही आगे नहीं चलाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में वाड
पत्र पर कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप कर प्रकरण
खारिज किया जाता है। मिमल फेसल शुमार 
नम्बर से कम है। वाड पत्रार दारिबल है।

(मोहनलाल खटनावतिया)
उपखण्ड अधिकारी
महारा (अजमेर) राज.